

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

रामचन्द्र

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार

मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी (एलआर एक्ट अन्तर्. धारा 128) मु0नं0 533 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1020

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री मनीराम
जाखड़ उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे।
अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक
26.09.2025 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ।

P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/09/25
को पेश हो।

15/09/25


पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रकरण में
बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील
प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि
का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक
27.06.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी
भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी
कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड
एवं सीमाज्ञान दिनांकित 27.06.2025 का अवलोकन
किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर
मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 27.
06.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की
पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत
पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर
न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश
इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम डोकन पटवार
हल्का डोकन तहसील पाटन अवस्थित ख.नं. 1905,
1908, 2889/1688 कुल किता 03 कुल रकबा 0.
5450 है0 में प्रार्थी, सहखातेदारान तथा पड़ोसी
खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद

सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 27.06.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपरखण्ड अधिकारी,
नामनीमकाथाना